भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद– अल्मोड़ा में सौगढ़ पंतगॉव चमड़खान मोटर मार्ग सिंगल लेन से ढेड लेन में परिवर्तन किये जाने हेतु **0.612** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ROAD/23820/2017**

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु अल्मोड़ा वन प्रभाग में 0.459 है0 राजस्व वन भूमि एवं 0.153 है0 पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 0.612 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **अल्मोड़ा में सौगढ़ पंतगॉव चमड़खान मोटर मार्ग सिंगल लेन से ढेड लेन में परिवर्तन किये जाने** के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

तिथि : 09 / 02 / 2018
स्थान : देहरादून